

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमावंदी रद्द अभिलेख वाद सं०-565/2016-17

वाद का प्रकार :- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

मायल नमिमा एडु पासो
पुत्रे एडु एडु एडु
10/9/16

19/8/16

झारखंड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा जाबर थाना नं० 42 जमा०सं० 663
खाता सं० 138 प्लॉट सं० 4247 रकबा 1.40
एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 पर जमाबंदी रैयत मयमा मना के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैद्य बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैद्य कोडकर बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैद्य लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैद्य प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतए० संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों उक्त जमावंदी को अवैद्य मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 23/9/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

19/8/16
अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

21/5/20

लम्बी अवधि के बाद अभिलेख उपस्थापित! संबंधित जमाबन्दी रैयत को पुनः नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें। उनसे कारण पृच्छा करें कि क्यों नहीं जमाबन्दी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक... 09/06/20...2020 को उपस्थापित करें।

21.5.2020

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

09/06/20

14/07/20

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस तामिला करने के पश्चात् आवेदक कार्यालय में उपस्थित होकर निम्नलिखित राजस्व कागजात सगर्हित किये:-

1. कन्दोबस्ती पर्चा 2. लगान रसीद एवं 3 दखल दिवानी की दाय्या प्रति।

आवेदक से मूल राजस्व कागजात की मांग की गई परन्तु उन्हें द्वारा सगर्हित नहीं किया गया।

अतः भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाप्ती, धनवाद को भेजें।

14.7.2020

अंचल अधिकारी
बलियापुर